दिनांक 14 सितम्बर,2014 को परिषद की सम्पन्न आमसभा में पारित संशोधन के अनुसार विधान

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर के विधान की धारा 4 के अन्तर्गत गठित विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास का विधान

1–नाम इस कोष का नाम ''श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास'' होगा तथा इसका संचालन विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जावेगा।

2–कार्यक्षेत्र इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रान्त होगा।

3–कार्यालय इसका प्रधान कार्यालय विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के वर्तमान अध्यक्ष के निवास पर होगा। आवष्यकतानुसार इसकी शाखायें राजस्थान के किसी भी भाग में संभागीय/जिला स्तर पर खोली जा सकेंगी।

4–उद्देष्य इसका उद्देष्य परिषद सदस्यों एवं उनके परिवारजन को प्राथमिकता देते हुये समाज के सभी ऐसे–

1–असाध्य रोग से पीडित को सहायता।

2–विधवा पेंशन के रूप में सहायता।

3–छात्रवृत्ति के रूप में सहायता।

5–न्यास का स्थाई स्वरूप (गठन) :

न्यास कोष के विधान की धारा 4 में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न प्रकार से स्थाई समिति प्रभाव में रहेगीः–

क– परिषद के संस्थापक अध्यक्ष –संयोजक

ख– परिषद के अध्यक्ष –सह–संयोजक

ग– परिषद के कोषाध्यक्ष –सदस्य

घ– प्रथम दानदाता श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय(बसवा निवासी), भोपाल द्वारा उनके परिवार के एक नामित व्यक्ति इस न्यास के स्थाई सदस्य होंगे–

1–श्री प्रमोद विजयवर्गीय (न्यासी)

ड–द्वितीय दानदाता श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (नारायणपुर निवासी), टोंक फाटक, जयपुर द्वारा उनके परिवार का एक नामित व्यक्ति इस न्यास के स्थाई सदस्य होंगे–

1–श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय (न्यासी)

च– परिषद के महासचिव –सदस्य सचिव

उपरोक्त स्थाई समिति आवेदकों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत होगी।

6–न्यास की सदस्यताः

परिषद/समाज का कोई भी व्यक्ति जो–

क–स्थाई सदस्यः

एक लाख रूपये या अधिक की राशि देने वाले न्यास के स्थाई सदस्य होंगे।

ख–अस्थाई सदस्यः

परिषद/समाज का कोई भी व्यक्ति जो–

1– 50 हजार रूपये से अधिक एवं एक लाख रूपये से कम राशि देने वाले न्यास के अस्थाई सदस्य होंगे जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

2– 20 हजार रूपये से अधिक एवं 50 हजार रूपये से कम राशि देने वाले न्यास के अल्पकालीन अस्थाई सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष होगा।

7–न्यास की निधि

1–न्यास की निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी।

2–प्रथमतः इस निधि की मूल राषि खर्च न की जाकर ब्याज राशि का उपयोग न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये खर्च की जावेगी।

8–वर्ष

1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की 12 मास की समयावधि न्यास का वर्ष कहलायेगी।

9–सदस्यता राषि देने का प्रकार

परिषद/समाज का कोई भी सदस्य अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के नाम से राषि जमा करा सकते है परन्तु न्यास का सदस्य उनमें से केवल एक ही रहेगा। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति उसी परिवार के सदस्यों द्वारा नामित व्यक्ति से की जा सकेगी।

10–बैठक एवं कोरम

क–स्थाई न्यास की बैठक वर्ष में एक बार अवष्य होगी।

ख–बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 रहेगा।

ग–स्थगित बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

11–अधिकार एवं कर्तव्य

क–स्थाई न्यास सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न होगी।

ख–स्थाई न्यास कोष वृद्धि के लिये प्रयत्नषील रहेगा।

ग–वार्षिक बजट प्रावधान निम्न अनुपात में किया जाकर सहायता प्रदान की जावेः–

1–असाध्य रोग से पीडित को सहायता हेतु 40 प्रतिशत

2–विधवा पेंशन के रूप में सहायता हेतु 30 प्रतिशत

3–छात्रवृत्ति के रूप में सहायता 30 प्रतिशत

उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत राशि शेष बची रही है तो न्यास अपने विवेक से बची हुई राशि का उपयोग अन्य को सहायता प्राथमिकता के अनुसार दे सकेगा।

घ–न्यास विधान में संशोधन परिषद की आम सभा में ही किये जा सकेंगे।

12–उद्देष्य पूर्ति

न्यास के उद्देष्यों की पूर्ति में आर्थिक सहयोग, सहायता तथा अनुदान प्रदान करने के लिये निम्नांकित प्रणालियों से किसी एक का अनुसरण किया जायेगा–

क–विजयवर्गीय (वैष्य) राजसेवक परिषद के पदाधिकारियों की सिफारिश पर।

ख–परिषद/समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित इकाईयों के पदाधिकारियों की सिफारिश पर।

13–सदस्यता से वंचित करना

यदि कोई सदस्य न्यास के नियमों का उल्लंघन करें अथवा उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न करें तो स्थाई न्यास 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी परन्तु कानूनी दृष्टि से अपात्रता अर्जन करने की स्थिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जायेगी।

14–रिक्त स्थान की पूर्ति

स्थाई न्यास के स्थाई/अस्थाई/अल्पकालीन सदस्यों हेतु नामित व्यक्ति में से किसी के निधन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुये स्थान की पूर्ति उनके द्वारा अन्य व्यक्ति को नामित कर इसकी पूर्ति की जावेगी।

15–बैंक से सम व्यवहार करने की अधिकार

न्यास की राशि का संधारण शासन सचिवालय स्थित एसबीबीजे बैंक में परिषद के नाम से संधारित बैंक खाते से किया जावेगा। धनराषि का संधारण परिषद के अध्यक्ष या मंत्री एवं कोषाध्यक्ष किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा।

16–न्यास का अंकेक्षण

परिषद के विधान के अन्तर्गत इस न्यास कोष का भी अंकेक्षण कराया जावेगा।

17–न्यास की समाप्ति

किसी कारणवष यदि न्यास का उद्देष्य सफल नहीं हो एवं विधि सम्मत ढंग से इसका संचालन संभव नहीं हो तो न्यास भंग करने की घोषणा स्थाई न्यास अपने 2/3 बहुमत से करेगी। ऐसी स्थिति में न्यास की निधि की स्वामिनी परिषद होगी। किन्तु वह भी इस निधि का प्रयोग केवल न्यास के उद्देष्यों की पूर्ति के लिये ही कर सकेगी। किसी भी अवस्था में न्यास की निधि का उपयेाग न्यासियों के लाभार्थ ही कर सकेगी।